न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2016/34 (2016/00038) जिला–अजमेर

1. पीथा पुत्र मंगला
2. गोमा पुत्र मंगला
3. हेमा पुत्र मंगला
4. खेमा पुत्र मंगला
5. बरदा पुत्र मंगला

   समस्त जाति चीता निवासी सेन्दरिया तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

–––––प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 20–01–2016
अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 13/2013 एवं तहसीलदार अजमेर
द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 प्रकरण संख्या 72/2010

———

उपस्थित– 1. श्री मृणाल शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः– 20–02–2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–1–2016 द्वारा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 2004 का रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 2055 का रकबा 722 बीघा सिवायचक भूमि है जिस पर गाजर, गेहूं, जौ की काश्त खसरा नम्बर 2055 की 03 बीघा भूमि पर अतिक्रमी के रूप में काश्त करने पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 का नोटिस दिया जाकर प्रकरण संख्या 146/2007 दर्ज किया और आदेश दिनांक 3–10–2007 से बेदखली व शास्ति कायम किये जाने एवं मौके पर फसल जब्त कर निलाम किये जाने के आदेश दिये जिसकी प्रथम अपील जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया कि सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से आदेश पारित किया जावे तब तहसीलदार अजमेर ने पुनः राजस्व प्रकरण संख्या 72/2010 दर्ज कर आदेश दिनांक 24–1–2012 पारित करते हुए पुनः बेदखली व फसल जब्ती के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर अजमरे के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–1–2016 से अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी।

उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजियात को भू–संशोधन बन्दोबस्त के दौरान त्रुटि से सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी जबकि भू–संशोधन से पूर्व प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थी के दादा के नाम खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है जिसे बिना किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा पारित आदेश अथवा किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय डिक्री के बिना भू–संशोधन के दौरान बिना किसी विधिक आधार एवं खातेदार को सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान किये सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया इसका कोई अधिकार सेटलमेंट विभाग व उसके अधिकारियों को प्राप्त नहीं रहा है। जैसा कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के खण्डपीठ के द्वारा आर.आर.डी. पेज 1969 में पेज संख्या 231, एवं आर.बी.जे. 2017 पेज संख्या 189 एवं आर.बी.. 2016 पेज 303 एवं 306 पर प्रतिपादित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों द्वारा आदेश जारी किये है कि वर्ष 2005 तक के पुराने अतिक्रमियों को अतिक्रमण की भूमि को नियमन किया जाकर खातेदारी अधिकार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे । अपीलार्थी के दादा धन्ना को वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभाव में आने से पूर्व ही नवाब मोहम्म्द उमर खां वल्द शमशूद्दीन अली खांन मुसलमान निवासी अजमेर के द्वारा खसरा नम्बर 1531 रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा 10 बिस्वांसी का बेचान करते हुए पट्टा दिनांक 15–3–1947 को जारी किया तब से मालिक खेवटदार खातेदार के रूप में काबिज काश्त चले आ रहे है और बाद में प्रमाणित जमाबंदी सम्वत 2015 से 2018 में खसरा नम्बर 1531 की उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार का अंकन दर्ज किया है इसके नये नम्बर 2004 व 2005 बने है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से साबित है तथा प्रत्यर्थी के

द्वारा तैयार किये गये प्रमाणित राजस्व अभिलेख जो कि स्वीकृति है जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेशों को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है क्योंकि त्रूटिपूर्ण इन्द्राज जो राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिये गये है जिससे अपीलार्थी के पूर्वजों से वादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 एवं जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2016 निरस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के आदेश के विरूद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिस संबंध में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है अपीलार्थी द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर फसल काश्त की है। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार के आदेश को जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील के माध्यम से चुनौती दी गई थी जिसे जिला कलक्टर अजमेर द्वारा स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था। तहसीलदार द्वारा पुनः अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज है। इस अपील के माध्यम से विवादित भूमि के नियमन हेतु अनुतोष अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। न्यायालय तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 एव जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन हाने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की लिखित बहस एवं राजकीय अभिभाक की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम सेन्दरिया तहसील व जिला अजमेर में सिवायचक आराजियात खसरा नम्बर 2004 रकबा 22–7–10 बीघा व खसरा नम्बर 2055 रकबा 3 बीघा पर अनाधिकृत रूप से बाजरा, मक्का आदि की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त संबंध में पटवारी हल्का को जानकारी होने पर तहसीलदार के समक्ष अतिक्रमियों के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 146/2007 दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई के आदेश दिनांक 3–10–2007 से अतिक्रमियों को विादित भूमि से बेदखल करने व शास्ति कायम करने के साथ ही मौके पर फसल जब्त कर निलाम करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थीगण द्वारा जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होनें प्रकरण

तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया कि वे अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर नये सिरे से आदेश परित करे। तहसीलदार अजमेर द्वारा पुनः प्रकरण संख्या 72/2010 दर्ज कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24–1–2012 को आदेश पारित किया जिसमें आदेशानुसार अतिक्रमियों को विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलार्थीगण द्वारा पुनः उक्त आदेश के विरूद्ध जिला कलक्टर अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–1–2016 से अपीलार्थी की अपील खारिज कर तहसीलदार, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 को यथावत रखा गया है।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि विवादित आराजियात राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से इस अपील के माध्यम से विवादित भूमि के नियमन हेतु अनुतोष अपीलार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है। अपीलार्थीगण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का नियमित राजस्व वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। न्यायालय तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 एव जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2016 विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–1–2012 प्रकरण संख्या 72/2010 बउनवान सरकार बनाम पीथा व अन्य एव जिला कलक्टर अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–1–2016 प्रकरण संख्या 13/2013 बउनवान पीथा व अन्य बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर